EX-- . असाधारण 1915

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1973/श्रावण 10, 1895
No. 274] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1973/SRAVANA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August 1973

S.O. 418(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of the Union Territory of Arunachal Pradesh shall exercise the powers to make rules in regard to the following matters, namely:—

(i) the method of recruitment to the Central Civil Services and posts (Class II, Class III and Class IV) under his administrative control in connection with the affairs of the Union Territory of Arunachal Pradesh;

(ii) the qualifications necessary for appointment to such services and posts; and

(iii) the conditions of service of persons appointed to such services and posts for the purposes of probation, confirmation, seniority and promotion:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to the recruitment rules already in force until the same are revised or superseded by the said Administrator under the powers conferred on him by this notification and that the powers of the Governor of Assam under any such rules shall be exercised by the Administrator of Union Territory of Arunachal Pradesh.

2. Nothing contained in this notification shall apply to services and posts borne on a cadre common to two or more Union Territories.

[No. U. 15036/3/73-AP.]

G. K. BHANOT, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1973

सा० आ० 418 (अ) —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश संघ-शासित क्षेत्र के प्रशासक निम्नलिखित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे, अर्थात :—

(1) अरुणाचल प्रदेश संघ-शासित क्षेत्र के कार्यों के संबंध में उनके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों (द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों) पर भर्ती की पद्धति;

(2) इन सेवाओं तथा पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं; और

(3) परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता और पदोन्नति के प्रयोजन के वास्ते ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवा-शर्तें :

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात पहले से प्रवृत्त भर्ती-नियमों पर उस समय तक लागू नहीं होगी जब तक कि इस अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, उक्त प्रशासक द्वारा वे भर्ती नियम संशोधित या अधिक्रमित नहीं किये जाते। यह भी व्यवस्था की जाती है कि ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन असम के राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग अरुणाचल प्रदेश-संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक द्वारा किया जायेगा।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात दो या दो से अधिक संघ-शासित क्षेत्रों के साझे संवर्ग (केडर) में सम्मिलित सेवाओं तथा पदों पर लागू नहीं होगी।

[सं० यू० 15036/3/73-ए० पी०]

जी० के० भनोत, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973